

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कंपनी के वार्षिक परिणाम तथा तिमाही एकल वित्तीय परिणामों पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

1. हमने 5 जुलाई 2016 को सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) के विनियम 63(2) के साथ पठित विनियम 52 तथा विनियम 33 के अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की ओर से जमा किए जा रहे, 31 मार्च 2019 ("वित्तीय परिणामों") को समाप्त वर्ष के लिए **हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी")** के इंड-एएस वित्तीय परिणामों के संगत एकल विवरण की लेखा-परीक्षा की है। यह इंड-एएस वित्तीय परिणामों का एकल विवरण कंपनी के प्रबंधकों की जिम्मेदारी है और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) में यथालागू जारी संबंधित नियमों के साथ पठित, धारा 133 में निर्दिष्ट भारतीय लेखागणना मानक (इंड-एएस) एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा-परीक्षा सिद्धांतों के अनुपालन में तैयार किया गया है। हमारा दायित्व हमारी समीक्षा पर आधारित इन अलेखा-परीक्षित एकल विवरणों पर एक रिपोर्ट जारी करना है।
2. हमने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के अनुपालन में समीक्षा की है। इन मानकों से अपेक्षित हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन में तथा योजनाबद्ध तरीके से समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरणों में वस्तुगत त्रुटि नहीं है।

लेखा-परीक्षा में इंड-एएस वित्तीय परिणामों के एकल विवरण में राशि तथा प्रकटन संबंधी लेखा-साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रियाओं को इंड-एएस वित्तीय परिणामों का एकल विवरण में फ्रॉड तथा चूक होने या न होने की वस्तुगत त्रुटि के जोखिमों के मूल्यांकन के साथ-साथ लेखा-परीक्षकों के निर्णय के आधार पर चयनित किया गया। इन जोखिमों का मूल्यांकन में, लेखा-परीक्षकों ने उपयुक्त लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को बनाने के क्रम में इंड-एएस वित्तीय परिणामों के एकल विवरण की कंपनी की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण से सम्बंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अपनाया है। लेखा-परीक्षा में उपयोग में लाई गई लेखा-गणना नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन की ओर से लेखा-गणना अनुमानों की तर्कसंगतता, साथ ही इंड-एएस वित्तीय परिणामों के एकल विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम ऐसा मानते हैं कि प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है तथा ये कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभिन्न विवरणियों पर भी निर्भर हैं।

3. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार, इंड-एस वित्तीय परिणामों का एकल विवरण :-
- (i) 5 जुलाई 2016 को सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) के विनियम 63(2) के साथ पठित विनियम 52 तथा विनियम 33 के अपेक्षाओं के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया है ।
- (ii) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य वित्तीय सूचना तथा अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध लाभ के लिए उल्लिखित भारतीय लेखा-गणना मानकों तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा-गणना सिद्धांतों की सत्यता तथा निष्पक्षता की पुष्टि करता है ।
4. इंड-एस वित्तीय परिणामों का एकल विवरण में, सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित आंकड़ों तथा हमारी ओर से सीमित समीक्षा के अधीन चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक के वार्षिक अलेखा-परीक्षित आंकड़ों के बीच शेष रहे आंकड़ें, 31मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के परिणाम शामिल हैं ।

प्रेम गुप्ता एंड कम्पनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 000425N

प्रेम बिहारी गुप्ता
(साझीदार)
सदस्यता सं. 080245

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 मई, 2019

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कंपनी के वार्षिक परिणाम तथा तिमाही समेकित वित्तीय परिणामों पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

1. हमने 5 जुलाई 2016 को सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) के विनियम 63(2) के साथ पठित विनियम 52 तथा विनियम 33 के अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की ओर से जमा किए जा रहे, 31 मार्च 2019 ("वित्तीय परिणामों") को समाप्त वर्ष के लिए **हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी")** के इंड-एएस वित्तीय परिणामों के संगत समेकित विवरण की लेखा-परीक्षा की हैं। यह इंड-एएस वित्तीय परिणामों का समेकित विवरण कंपनी के प्रबंधकों की जिम्मेदारी है और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) में यथालागू जारी संबंधित नियमों के साथ पठित, धारा 133 में निर्दिष्ट भारतीय लेखागणना मानक (इंड-एएस) एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा-परीक्षा सिद्धांतों के अनुपालन में तैयार किया गया है। हमारा दायित्व हमारी समीक्षा पर आधारित इन अलेखा-परीक्षित समेकित विवरणों पर एक रिपोर्ट जारी करना है।
2. हमने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के अनुपालन में समीक्षा की है। इन मानकों से अपेक्षित हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन में तथा योजनाबद्ध तरीके से समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरणों में वस्तुगत त्रुटि नहीं है।

लेखा-परीक्षा में इंड-एएस वित्तीय परिणामों के समेकित विवरण में राशि तथा प्रकटन संबंधी लेखा-साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रियाओं को इंड-एएस वित्तीय परिणामों का समेकित विवरण में फ्रॉड तथा चूक होने या न होने की वस्तुगत त्रुटि के जोखिमों के मूल्यांकन के साथ-साथ लेखा-परीक्षकों के निर्णय के आधार पर चयनित किया गया। इन जोखिमों का मूल्यांकन में, लेखा-परीक्षकों ने उपयुक्त लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को बनाने के क्रम में इंड-एएस वित्तीय परिणामों के समेकित विवरण की कंपनी की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण से सम्बंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अपनाया हैं। लेखा-परीक्षा में उपयोग में लाई गई लेखा-गणना नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन की ओर से लेखा-गणना अनुमानों की तर्कसंगतता, साथ ही इंड-एएस वित्तीय परिणामों के समेकित विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हम ऐसा मानते हैं कि प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं तथा ये कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभिन्न विवरणियों पर भी निर्भर हैं।

3. हमने इंड-एएस वित्तीय परिणामों का समेकित विवरण में शामिल 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 0.30 करोड़ रू. की हानि के सामूहिक शेयर को दर्शाने वाले वित्तीय परिणाम वाली सहयोगी संस्था के वित्तीय परिणामों की लेखा-परीक्षा नहीं की है। सहयोगी संस्था के वित्तीय विवरण तथा अन्य वित्तीय सूचना, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण हैं एवं सहयोगी संस्था के मामले में, ऐसे वित्तीय परिणामों से प्राप्त वार्षिक समेकित परिणामों पर हमारी राय केवल प्रबंधन के प्रमाणन पर आधारित है।
4. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार, इंड-एएस वित्तीय परिणामों का समेकित विवरण :-
- (i) निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के घाटे का वार्षिक विवरण शामिल करता है -
सृष्टि अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (31 मार्च, 2018 तक 40%-स्वामित्व) (विगत वर्ष 40%)
- (ii) 5 जुलाई 2016 को सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) के विनियम 63(2) के साथ पठित विनियम 52 तथा विनियम 33 के अपेक्षाओं के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया है।
- (iii) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य वित्तीय सूचना तथा अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध लाभ के लिए उल्लिखित भारतीय लेखा-गणना मानकों तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा-गणना सिद्धांतों की सत्यता तथा निष्पक्षता की पुष्टि करता है।
5. इंड-एएस वित्तीय परिणामों का समेकित विवरण में, सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित आंकड़ों तथा हमारी ओर से सीमित समीक्षा के अधीन चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक के वार्षिक अलेखा-परीक्षित आंकड़ों के बीच शेष रहे आंकड़ें, 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के परिणाम शामिल हैं।

प्रेम गुप्ता एंड कम्पनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 000425N

प्रेम बिहारी गुप्ता
(साझीदार)
सदस्यता सं. 080245

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 मई, 2019

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)

(भारत सरकार का उपक्रम) सीआईएन:L74899DL1970GOI005276,जीआईएसटीएन:07AAACH0632A1ZF, वेबसाइट% www.hudco.org

पंजीकृत कार्यालय: हडको भवन, कोर 7ए, इंडिया हैबीटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

(रु. करोड़ में)

31मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31-मार्च-2019	31-दिसं-2018	31-मार्च-2018	31-मार्च-2019	31-मार्च-2018
		(लेखापरीक्षित)	(समीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
	आय					
	प्रचालन से राजस्व					
1	ब्याज आय	1,463.79	1,284.20	1,126.17	5,465.59	4,033.18
2	लाभांश आय	0.35	0.01	0.09	3.51	3.25
3	किराया आय	7.48	7.52	7.06	29.25	34.49
4	फीस तथा कमीशन आय	0.55	18.80	43.40	46.62	47.11
5	अंकित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ	-	-	55.49	-	50.60
6	सेवाओं पर बिक्री	2.58	0.63	2.23	2.67	2.73
I	प्रचालन से कुल राजस्व	1,474.75	1,311.16	1,234.44	5,547.64	4,171.36
II	अन्य आय	18.60	8.49	2.31	43.58	62.78
III	कुल आय (I+ II)	1,493.35	1,319.65	1,236.75	5,591.22	4,234.14
	व्यय					
1	वित्त लागत	921.79	680.13	669.91	3,070.51	2,294.79
2	फीस तथा कमीशन व्यय	1.55	0.45	(0.23)	7.23	5.67
3	अंकित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध हानि	5.10	31.73	-	21.95	-
4	वित्तीय साधनों और बट्टे खाते पर क्षति	76.03	0.54	(15.55)	327.27	270.81
5	कर्मचारी लाभ व्यय	52.94	50.37	54.28	224.12	176.40
6	मूल्यहास एवं परिशोधन	1.48	1.31	1.39	5.30	5.46
7	अन्य व्यय	25.22	20.73	36.13	71.63	72.38
IV	कुल खर्च	1,084.11	785.26	745.93	3,728.01	2,825.51
V	कर पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)	409.24	534.39	490.82	1,863.21	1,408.63
	कर व्यय					
1	चालू कर व्यय	124.73	150.45	122.19	584.28	440.61
2	आस्थगित कर व्यय (क्रेडिट)	48.14	55.68	45.10	98.78	(42.16)
VI	कुल कर व्यय	172.87	206.13	167.29	683.06	398.45
VII	अवधि/वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (V- VI)	236.37	328.26	323.53	1,180.15	1,010.18
VIII	अन्य व्यापक आय					
	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा					
1	परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि की पुनः गणना	(0.55)	(6.47)	5.64	(6.86)	5.64
2	उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी	0.14	2.32	(1.97)	2.40	(1.97)
	कुल अन्य व्यापक आय	(0.41)	(4.15)	3.67	(4.46)	3.67
IX	अवधि के लिए कुल व्यापक आय(VII+VIII)	235.96	324.11	327.20	1,175.69	1,013.85
X	प्रदत्त साम्य शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/-रु प्रति)	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90
XI	31 मार्च तक आरक्षित				8,953.87	7,941.09

XII	प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य 10/-रु प्रति) (तिमाहियों के लिए ईपीएस वार्षिक नहीं हैं)					
	मूल (₹)	1.18	1.64	1.62	5.90	5.05
	अवमिश्रित (₹)	1.18	1.64	1.62	5.90	5.05
XIII	अतिरिक्त प्रकटन :					
1	क्रेडिट रेटिंग (दीर्घकालिक)				आईएनडी एएए, केयर एएए, [आईसीआरए] एएए	आईएनडी एएए, केयर एएए, [आईसीआरए] एएए
2	ऋण साम्य अनुपात (उधारें/शेयरधारक निधि]				5.46	3.77
	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (कर पूर्व लाभ + ब्याज एवं अन्य शुल्क) (ब्याज एवं अन्य शुल्क + मूलधन पुनर्भुगतान)				0.43	0.33
	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (कर पूर्व लाभ + ब्याज एवं अन्य शुल्क) (ब्याज एवं अन्य शुल्क)				1.61	1.61
3	अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के मूल धन के पुनर्भुगतान / ब्याज के भुगतान की पूर्व नियत तिथि					
	- इसका भुगतान किया गया है या नहीं				नियत तिथियों पर प्रदत्त	
4	डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व				2,997.21	2,557.38
5	कुल कारोबार				10,955.77	9,942.99
6	कर उपरांत शुद्ध लाभ				1,180.15	1,010.18
7	प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य 10/-रु प्रति)				5.90	5.05

31मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31-मार्च-2019	31-मार्च-2018
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
	प्रचालन से राजस्व		
1	ब्याज आय	5,465.59	4,033.18
2	लाभांश आय	3.51	3.25
3	किराया आय	29.25	34.49
4	फीस तथा कमीशन आय	46.62	47.11
5	अंकित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ	-	50.60
6	सेवाओं पर बिक्री	2.67	2.73
I	प्रचालन से कुल राजस्व	5,547.64	4,171.36
II	अन्य आय	43.58	62.78
III	कुल आय (I+ II)	5,591.22	4,234.14
	व्यय		
1	वित्त लागत	3,070.51	2,294.79
2	फीस तथा कमीशन व्यय	7.23	5.67
3	अंकित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध हानि	21.95	-
4	वित्तीय साधनों और बट्टे खाते पर क्षति	327.27	270.81
5	कर्मचारी लाभ व्यय	224.12	176.40
6	मूल्यहास एवं परिशोधन	5.30	5.46
7	अन्य व्यय	71.63	72.38
IV	कुल खर्च	3,728.01	2,825.51
V	अपवादात्मक मर्दे, कर एवं सहयोगी संस्था के लाभ/(हानि) के शेयर से पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)	1,863.21	1,408.63
VI	सहयोगी संस्था के लाभ/(हानि) में शेयर	(0.30)	(0.27)
VII	अपवादात्मक मर्दे, कर पूर्व लाभ/(हानि) (V+ VI)	1,862.91	1,408.36
VIII	अपवादात्मक मर्दे	-	-
IX	कर पूर्व लाभ/(हानि) (VII+VIII)	1,862.91	1,408.36
	कर व्यय		
1	चालू कर व्यय	584.28	440.61
2	आस्थगित कर व्यय (क्रेडिट)	98.78	(42.16)
X	कुल कर व्यय	683.06	398.45
XI	अवधि/वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (IX-X)	1,179.85	1,009.91
XII	अन्य व्यापक आय		
	ऐसी मर्दे जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
1	परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/हानि की पुनः गणना	(6.86)	5.64
2	उन मर्दों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी	2.40	(1.97)
	अन्य व्यापक आय (XII)	(4.46)	3.67
XIII	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI+ XII)	1,175.39	1,013.58
XIV	प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य 10/-रु प्रति)		
1	मूल	5.89	5.04
2	अवमिश्रित	5.89	5.04
XV	प्रदत्त साम्य शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/-रु प्रति)	2,001.90	2,001.90

परिसंपत्तियों एवं देयताओं का विवरण				
	एकल		समेकित	
	(रु. करोड़ में)			
विवरण	31-मार्च-2019	31-मार्च-2018	31-मार्च-2019	31-मार्च-2018
	तक	तक	तक	तक
परिसंपत्तियां				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकद एवं नकद समकक्ष	111.10	71.89	111.10	71.89
उपरोक्त (क) के अतिरिक्त बैंक शेष	228.94	263.09	228.94	263.09
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	15.42	45.60	15.42	45.60
प्राप्य				
- व्यापार प्राप्य	4.42	1.96	4.42	1.96
- अन्य प्राप्य	15.62	5.73	15.62	5.73
ऋण	70963.71	47103.88	70963.71	47103.88
निवेश	535.51	527.51	533.51	525.51
सहयोगी संस्था में निवेश	-	-	0.99	1.29
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	458.41	398.68	458.41	398.68
उप-योग (1)	72333.13	48418.34	72332.12	48417.63
गैर- वित्तीय परिसंपत्तियां				
चालू कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	12.85	0.34	12.85	0.34
निवेश सम्पत्ति	20.21	23.15	20.21	23.15
सम्पत्ति, प्लान्ट तथा संयंत्र	49.95	47.46	49.95	47.46
कार्य प्रगति में पूंजी	38.59	35.09	38.59	35.09
अन्य मूर्त परिसंपत्तियां	0.41	0.56	0.41	0.56
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	374.20	389.94	374.20	389.94
उप-योग (2)	496.21	496.54	496.21	496.54
कुल परिसंपत्ति (1+2)				
साम्य एवं देयताएं				
देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	0.13	0.10	0.13	0.10
भुगतानयोग्य				
व्यापार भुगतानयोग्य				
- सूक्ष्म उपक्रमों की कुल बकाया देय तथा	-	-	-	-
- सूक्ष्म उपक्रमों के अलावा कर्जदारों की कुल बकाया देय	0.16	0.06	0.16	0.06
अन्य भुगतानयोग्य				
- सूक्ष्म उपक्रमों तथा लघु उपक्रमों की कुल बकाया देय	0.26	0.35	0.26	0.35
- सूक्ष्म उपक्रमों तथा लघु उपक्रमों के अलावा कर्जदारों की कुल बकाया देय	14.22	12.02	14.22	12.02
ऋण प्रतिभूतियां	51236.78	28643.98	51236.78	28643.98
उधार (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)	8322.02	7007.00	8322.02	7007.00
जमा	289.16	625.66	289.16	625.66
अन्य वित्तीय देयताएं	1384.62	2154.77	1384.62	2154.77
उप-योग (क-1)	61247.35	38443.94	61247.35	38443.94

गैर - वित्तीय देयताएं				
चालू कर देयताएं (शुद्ध)	-	-	-	-
उपबंध	179.96	172.16	179.96	172.16
आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	404.24	307.86	404.24	307.86
अन्य गैर- वित्तीय देयताएं	42.02	47.93	42.02	47.93
उप-योग (क-2)	626.22	527.95	626.22	527.95
उप-योग (क)	61873.57	38971.89	61873.57	38971.89
साम्य				
साम्य शेयर पूँजी	2001.90	2001.90	2001.90	2001.90
अन्य साम्य	8953.87	7941.09	8952.86	7940.38
उप-योग (ख)	10955.77	9942.99	10954.76	9942.28
कुल साम्य एवं देयताएं (क+ख)	72829.34	48914.88	72828.33	48914.17

वित्तीय परिणामों की टिप्पणियाँ		
1	कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को प्रभावी अंतरण की तिथि तथा 1 अप्रैल 2018 से कंपनी (भारतीय लेखागणना मानकों) नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखागणना मानकों (इंड-एएस) को अपनाया है। यह अंतरण राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) (पूर्व-जीएएपी के अनुसार समग्र रूप से संदर्भित) द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा उसमें निर्दिष्ट जारी सम्बद्ध नियमों के साथ पठित अधिनियम में अधिसूचित पूर्व - लेखागणना मानकों से किया गया। तदनुसार, 1 अप्रैल 2017 के आरंभिक रिज़र्व में अंतरण का प्रभाव दर्ज किया गया। इन परिणामों के संगत आंकड़ों को इंड-एएस के लिए विधिवत पुनर्कथित सम्बद्ध अवधि से पूर्व-जीएएपी के अंतर्गत पहले से ही प्रकाशित परिणामों के आधार पर तैयार किया गया है। इन इंड-एएस समायोजनों की समीक्षा सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने की।	
2	ये वित्तीय परिणाम 16 फरवरी 2015 तथा 30 मार्च 2016 की एमसीए अधिसूचना क्रमशः जी.एस.आर. 111 (ई) तथा जी.एस.आर. 365 (ई) पर आधारित कम्पनी पर लागू इंडएएस के आधार पर बनाए गये हैं। एनएचबी या अन्य विनियामकों की ओर से जारी दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों/निर्देशों को उनके जारी/लागू होने से ही अपनाया/क्रियान्वित किया गया है।	
3	लेखा-परीक्षा समिति ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही/वर्ष के उपरोक्त लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा की तथा तदुपरांत इन्हें 24 मई 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। लेखा-परीक्षित खाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारतीय महा लेखा-परीक्षक एवं नियंत्रक की समीक्षा के अधीन हैं।	
4	इन वित्तीय परिणामों की लेखा-परीक्षा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अर्हताएं) विनियमन 2015 की अनिवार्यताओं के अनुपालन में कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने की है। सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही/वर्ष के उपरोक्त एकल लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों पर असंशोधित मत जारी किया है।	
5	इंड-एएस -101 के पैराग्राफ 32 की अपेक्षानुसार, विगत जीएएपी एवं इंड-एएस के अंतर्गत रिपोर्टेड आंकड़ों तथा शुद्ध कर के बीच का शुद्ध लाभ मिलान नीचे दिया गया है :-	
	विवरण	(रु. करोड़ में)
		एकल
		समेकित
		31.03.2018 तक
		31.03.2018 तक
	विगत जीएएपी के अनुसार साम्य	9,821.74
		9,822.96
	जोड़कर/(घटाकर) : इंड-एएस के अनुसार समायोजन :	
	- साम्य लेखा-गणना पर	-
		(1.93)
	- उधार क्षतिग्रस्त ऋणों पर परिशोधित लागत/शुद्ध ब्याज पर मान्यता-प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं के लिए प्रभावी ब्याज दर पर समायोजन	13.66
		13.66
	- निवेश के लिए अंकित मूल्य	138.07
		138.07
	- अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान पर समायोजन	(1.76)
		(1.76)
	- व्युत्पन्न लेखागणना का प्रभाव	0.04
		0.04
	- अन्य	3.01
		3.01
	- अन्य व्यापक आय के लिए कर्मचारी लाभ योजना पर प्रोद्भूत लाभ(हानि) का पुनःवर्गीकरण	(5.64)
		(5.64)
	- उपरोक्त समायोजन पर आस्थगित कर प्रभाव	(29.79)
		(29.79)
	इंड-एएस के अनुसार कर उपरान्त शुद्ध लाभ	9,939.32
		9,938.61
	अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर)	3.67
		3.67

इंड-एस के अनुसार साम्य		9,942.99	9,942.28	
विवरण	(रु. करोड़ में)			
	एकल		समेकित	
	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष	
	31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018	
विगत जीएपी के अनुसार शुद्ध लाभ		222.52	799.06	799.95
जोड़कर/(घटाकर) : इंड-एस के अनुसार समायोजन :				
- उधार क्षतिग्रस्त ऋणों पर परिशोधित लागत/शुद्ध ब्याज पर मान्यता-प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं के लिए प्रभावी ब्याज दर पर समायोजन		2.53	2.11	2.11
- निवेश के लिए अंकित मूल्य		20.14	23.27	23.27
- अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान पर समायोजन		133.19	297.38	296.22
- व्युत्पन्न लेखागणना का प्रभाव		0.47	0.34	0.34
- अन्य		0.15	0.65	0.65
- अन्य व्यापक आय के लिए कर्मचारी लाभ योजना पर प्रोद्भूत लाभ(हानि) का पुनःवर्गीकरण		(5.64)	(5.64)	(5.64)
- उपरोक्त समायोजन पर आस्थगित कर प्रभाव		(49.83)	(107.00)	(107.00)
इंड-एस के अनुसार कर उपरान्त शुद्ध लाभ		323.53	1,010.18	1,009.91
अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर)		3.67	3.67	3.67
इंड-एस के अनुसार कुल व्यापक आय (शुद्ध कर)		327.20	1,013.85	1,013.58
6	कंपनी में "प्रचालन खंड" पर भारतीय लेखागणना मानक (इंडएस-108) की शर्तों के अनुसार अलग से रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है।			
7	कंपनी ने इंडएस अपेक्षाओं के अनुपालन में 31.03.2019 तक 2939.18 करोड़ रु. (विगत वर्ष : 2691.07 करोड़ रु.) की अपेक्षित क्रेडिट हानि के अनुरूप ऋणों (क्षतिग्रस्त) पर प्रावधान बनाया है। ऋण परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध एनपीए (इंड-एस समायोजन पर विचार-उपरांत) 31 मार्च, 2018 तक 1.96% तथा 31 मार्च, 2019 तक 0.50% हैं।			
8	दिनांक 10 अक्टूबर 2018 के अपने कार्यालय जापन के माध्यम से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार ने, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में एमओएचयूए के अंतर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई-यू) के लिए फंड जुटाने लिए हडको को प्राधिकृत किया एवं एमओएचयूए से, ऋण लेने तथा पीएमएवाई-यू में निर्दिष्ट केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता के रूप में ऋण राशि संवितरित करने वाली संस्था के रूप में मान्यता-प्राप्त, एमओएचयूए की स्वायत्त संस्था, निर्माण सामग्री एवं प्रोद्योगिकी प्रोत्साहन परिषद् को ऋण देने के लिए भी हडको को प्राधिकृत किया। तदनुसार, हडको ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, 20,000 करोड़ रु. के भारत सरकार के पूर्ण सेवारत बॉण्ड्स जुटाए गए तथा पीएमएवाई(यू) योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों/केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में बीएमटीपीसी को ऋण देने के रूप में राशि का संवितरण किया गया।			
9	शहरी विकास मंत्रालय (अब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) की ओर से एक एजेंट के रूप में हडको द्वारा निष्पादित की जा रही एंड्रयूजगंज परियोजना के संबंध में, हडको को लीज पर दी हुई संपत्ति पर हडको का कोई अधिकार या हित नहीं है। इस परियोजना के मामले में किसी भी व्यय या देयता, यदि कोई है, को हडको में बने नो लियन एजीपी खाते से अदा किया जाता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से घाटे की राशि (वसूली-योग्य) पर 26.62 करोड़ रुपए की ब्याज आय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया है। 31 मार्च,			

	2019 को नो लियन एजीपी खाता 431.18 करोड़ रुपए तक घाटे (वसूली-योग्य) में है, जिसमें आज तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से हडको द्वारा अदा की गई राशि और ब्याज शामिल है।				
10	हडको की सार्वजनिक जमा योजना के स्वीकरण/नवीकरण को 1 जुलाई, 2019 से रद्द कर दिया गया है। हालांकि, बकाया जमा राशि परिपक्व अवधि तक सेवा में रहेंगी।				
11	कंपनी ने 31 मार्च, 2019 तक अपने प्रतिभूतित सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय-डिबेंचरों पर परिसंपत्ति कवर को 100% व्यवस्थित बनाए रखा है।				
12	एनएचबी ने दिनांक 13 जुलाई 2018 के अपने पत्र के माध्यम से हडको को मार्च 2023 तक सरकारी/सार्वजनिक एजेंसियों और राज्य सरकार (सामूहिक सीमा के अंतर्गत) की अधिकतम सीमा को क्रमशः 50% तथा 100% तक कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की सलाह दी है।				
13	कंपनी द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 सी के अंतर्गत और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत व्यवस्थित तथा सृजित विशेष संचय पर आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल) बनाई जा रही हैं।				
14	वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने 12 मार्च, 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन के उपरांत प्रति 10 रुपये के 0.675 रु. प्रति साम्य शेयर की दर पर अंतरिम लाभांश का भुगतान किया और यह भुगतान 25 मार्च, 2019 को किया गया।				
15	24 मई 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने, आगामी आम वार्षिक बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन प्रति 10 रुपये के 0.15 रु. प्रति साम्य शेयर की दर पर अंतिम लाभांश की सिफारिश की।				
16	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व में वसूली/विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत 140.95 करोड़ रु. के 6 क्रोनिक एनपीए खातों के निपटान से प्राप्त राशि तथा 3 क्रोनिक एनपीए खातों 335.94 करोड़ रु. की आंशिक वसूली शामिल हैं।				
17	31 मार्च, 2019 तक हडको में निवेशकों की 02 शिकायतें लंबित थी। वर्तमान में सभी लंबित शिकायतों को निपटारा जा चुका है।				
18	31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान, अपवादात्मक या असामान्य प्रकृति की मदों का कोई लेन-देन नहीं हुआ है।				
19	सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 63(2) के साथ पठित विनियम 52(4) तथा विनियम 33 की अपेक्षाओं के अनुपालन में तैयार 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही और वर्ष के परिणाम बीएसई लिमिटेड (URL : www.bseindia.com/corporates), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (URL : www.nseindia.com/corporate) की वेबसाइट, तथा कंपनी की वेबसाइट (URL : www.hudco.org) पर उपलब्ध हैं।				
20	उपरोक्त वर्णित समेकित वार्षिक वित्तीय परिणाम, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) तथा "समेकित वित्तीय विवरणों" पर इंडएएस-110 के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी में कोई भी गौण संस्था शामिल नहीं है।				
21	संगत अवधि के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों, 31 मार्च, 2019 को समाप्त पूर्ण वित्तीय वर्ष के समीक्षित आंकड़ों और वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही की समाप्त हो रहे समीक्षित वर्ष 31 दिसंबर 2018 तक के समीक्षित वार्षिक आंकड़ों के अंतर के शेष आंकड़े हैं।				
22	अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के मूलधन के पुनर्भुगतान/ब्याज के भुगतान के लिए पूर्व नियत तिथि निम्नलिखित है :-				
क्र.सं.	बॉण्ड्स/डिबेंचर श्रृंखला का नाम	मूलधन का मोचन राशि करोड़ में	मोचन तिथि	ब्याज राशि राशि करोड़ में	ब्याज भुगतान तिथि
1	2013 करयोग्य बॉण्ड्स श्रृंखला ए	700	29-मई-2018	56.98	29-मई -2018
2	विशेष प्राथमिकता क्षेत्र - I बॉण्ड्स	3.30	11-जून-2018	0.16	11-जून -2018
3	विशेष प्राथमिकता क्षेत्र - I बॉण्ड्स			1.52	11-जून -2018
4	2017 हडको करयोग्य बॉण्ड्स श्रृंखला ई			13.77	12-जून -2018
5	विशेष प्राथमिकता क्षेत्र - II बॉण्ड्स	7.26	15-जून -2018	0.45	15-जून -2018
6	विशेष प्राथमिकता क्षेत्र - II बॉण्ड्स			4.16	15-जून -2018
7	2017 हडको करयोग्य बॉण्ड्स श्रृंखला ए			28.20	16-जुलाई-2018

8	2015 हडको करमुक्त बॉण्ड्स श्रृंखला ए			10.86	31-जुलाई -2018
9	2013 हडको करमुक्त बॉण्ड्स श्रृंखला ए			16.33	3-सितं -2018
10	2016 हडको करयोग्य बॉण्ड्स श्रृंखला बी			51.66	17-सितं -2018
11	विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	1.09	20-सितं-2018	0.07	20-सितं -2018
12	विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			1.51	20-सितं -2018
13	2016 करयोग्य बॉण्ड्स श्रृंखला सी			44.34	24-सितं -2018
14	2011 करमुक्त बॉण्ड्स श्रृंखला सी			7.76	1-अक्टूबर-2018
15	2015 करमुक्त बॉण्ड्स श्रृंखला बी			72.35	1-अक्टूबर -2018
16	2015 करमुक्त बॉण्ड्स श्रृंखला सी			7.60	9-अक्टूबर -2018
17	2011 करमुक्त बॉण्ड्स श्रृंखला ए			1.20	22-अक्टूबर -2018
18	2013 हडको करमुक्त बॉण्ड्स ट्रेच I			202.25	25-अक्टूबर -2018
19	2016 हडको करयोग्य बॉण्ड्स श्रृंखला डी			14.42	25-अक्टूबर -2018
20	2011 हडको करमुक्त बॉण्ड्स श्रृंखला बी			15.70	12-नवं -2018
21	2016 हडको करयोग्य बॉण्ड्स श्रृंखला ई			47.73	19-नवं -2018
22	2016 करयोग्य बॉण्ड्स श्रृंखला जी			42.88	22-नवं -2018
23	2017 हडको करयोग्य बॉण्ड्स श्रृंखला बी			49.98	22-नवं-2018
24	2013 हडको करमुक्त बॉण्ड्स ट्रेच III			24.04	1-दिसं -2018
25	2015 हडको करमुक्त श्रृंखला डी			15.63	7-दिसं -2018
26	विशेष प्राथमिकता क्षेत्र - I बॉण्ड्स	3.55	10-दिसं-2018	0.19	10-दिसं -2018
27	विशेष प्राथमिकता क्षेत्र - I बॉण्ड्स			1.48	10-दिसं -2018
28	2017 हडको करयोग्य बॉण्ड्स श्रृंखला सी			14.47	11-दिसं -2018
29	विशेष प्राथमिकता क्षेत्र - II बॉण्ड्स	7.49	15-दिसं -2018	0.47	15-दिसं -2018
30	विशेष प्राथमिकता क्षेत्र - II बॉण्ड्स			3.72	15-दिसं -2018
31	2015 हडको करमुक्त बॉण्ड्स ट्रेच II			133.32	15-दिसं -2018
32	2013 हडको करमुक्त बॉण्ड्स ट्रेच II			188.16	14-जन-2019
33	2016 हडको करयोग्य बॉण्ड्स श्रृंखला एफ			40.86	14-जन-2019
34	2015 हडको करमुक्त बॉण्ड्स ट्रेच I			127.20	8-फर -2019
35	2012 हडको करमुक्त बॉण्ड्स ट्रेच I			166.60	16-फर-2019
36	2011 हडको करमुक्त बॉण्ड्स ट्रेच I			382.67	5-मार्च -2019
37	2017 हडको करयोग्य बॉण्ड्स श्रृंखला एफ			115.50	19-मार्च -2019
38	विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स	1.09	22-मार्च-2019	0.07	22-मार्च -2019
39	विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स			1.42	22-मार्च -2019
40	2017 हडको करयोग्य बॉण्ड्स श्रृंखला जी			35.33	27-मार्च -2019
41	2012 हडको करमुक्त बॉण्ड्स ट्रेच II			15.39	28-मार्च -2019
	कुल	723.78		1,958.40	

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 24 मई, 2019

डॉ. एम रविकांत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक